



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28122022-241459
CG-DL-E-28122022-241459

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5835]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 2022/पौष 7, 1944

No. 5835]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2022/PAUSHA 7, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 27 दिसम्बर

का.आ. 6078 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ., जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में NH166E के कि.मी. 13.07 से कि.मी. 49.381 (अपोजिट पुलिस स्टेशन जत) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "११/१०/२०२२" को "दैनिक ललकार" और "०२/१०/२०२२" को "टाईम्स ऑफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में NH166E के कि.मी. 13.07 से कि.मी. 49.381 (अपोजिट पुलिस स्टेशन जत) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र जिले का नाम: सांगली					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: जत				
	गांव का नाम: मुचंडी				
1	21	निजी	कृषक	0.18	महादेवी शिवाप्पा बिरादार, सुरेश काडाप्पा हिरगोंड, सीताबाई काडाप्पा हिरगोंड, रमेश काडाप्पा हिरगोंड, बाळाप्पा काडाप्पा हिरगोंड, भारती संभू संतापी, कांताबाई शंकर पोलिसी, भीमाशंकर बाळाप्पा हिरगोंड, चैतन्य बाळाप्पा हिरगोंड, सुनंदा बाळाप्पा हिरगोंड, सुहासिनी भूषण बिरादार, जयश्री रावसाहेब पाटील, निंगमा संगोडा पाटील, प्रवीण सुरेश हिरगोंड. (२१)
2	22	निजी	कृषक	0.15	भीमगोंड दर्याप्पा बिरादार, प्रभाकर भीमगोंडा बिरादार, आमसिद्धा मलकारी ढाशाळ, तुकाराम मलकारी ढाशाळ, श्रीकांत लक्ष्मीनारायण के, श्रीनिवास लक्ष्मीनारायण के, आलगोंडा सिद्धोडा हिरगोंड, रामगोंडा सिद्धोडा हिरगोंड. (२२)
3	36	निजी	कृषक	0.09	महेश रमेश बाबर, अजय रमेश बाबर. (३६)
			कुल	0.42	

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi the 27th December

S.O. 6078(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH166E on the stretch of land from Km. 13.07 to Km. 49.381 (Opposite Police Station Jath) in the district of SANGLI in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Lalkar” dated 11/10/2022 and “Times Of India” dated 02/10/2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH166E in the stretch of land from NH166E (Opposite Police Station Jath) in the district of SANGLI in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: SANGLI		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Jath				
	Village: Muchandi				
1	21	Private	Agriculture	0.18	Mahadevi Sivappa Biradar, Suresh Kadappa Hirgond, Sitabai Kadappa Hirgond, Ramesh Kadappa Hirgond, Balappa Kadappa Hirgond, Bharati Sambhu Santapi, Kantabai Shankar Polici, Bhimashankar Balappa Hirgond, Chaitanya Balappa Hirgond, Sunanda Balappa Hirgond, Suhasini Bhushan Biradar, Jayashree Raosaheb Patil, Ningama Sangonda Patil, Pravin Suresh Hirgond. 21
2	22	Private	Agriculture	0.15	Bhimgonda Daryappa Biradar, Prabhakar Bhimgonda Biradar, Aamsidha Malkari Dhashal, Tukaram Malkari Dhashal, Shrikant Lakshminarayan K, Shrinivas Lakshminarayan K, Algonda Sidhhoda Hirgod, Ramgonda Sidhhoda Hirgod. 22

3	36	Private	Agriculture	0.09	Mahesh Ramesh Babar, Ajay Ramesh Babar. 36
			TOTAL	0.42	

[F. No. 12037/66/2017-MAH-P6/3D]

RAJESH GUPTA, Director